



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122022-241412  
CG-DL-E-26122022-241412

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5806]  
No. 5806]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6049(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/गैस/पानी परिवहन के लिए PPM#02, PPM#13, PPM#15 से PPM#01 MANI FOLD (4"Gas Line), ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नीरवय - करैकल -609604 (पॉन्डिचेरी) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची						
तालुका : रामनाथपुरम, किलाकराई			जिला : रामनाथपुरम		राज्य :	
तमिलनाडु						
क्रम सं.	तालुका का नाम	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	रामनाथपुरम	करन	133	00	32	93
			134	00	14	43
			116	00	38	34
			115	00	21	66
			106	00	13	80
			102	00	23	10
			18	00	43	03
			17	00	31	55
			16	00	28	46
			10	00	21	00
3	किलाकराई	रघुनाथपुरम	292	00	04	56
			293	00	20	80
			294	00	43	75

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/91/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी(ई-45243)]

आर. के. कुरील, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

**S.O. 6049(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil/Gas/Water from **PPM#02, PPM#13, PPM#15 TO PPM#01 MANIFOLD (4"Gas Line)**, should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., Neravy - Karaikal - 609604 (Puducherry).

SCHEDULE						
TALUK: RAMANATHAPURAM & KILAKARAI, DISTRICT: RAMANATHAPURAM STATE: TAMILNADU						
Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Block No.	Area Statement		
				Hect.	Are.	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6	7
1	RAMANATHAPURAM	KARAN	133	00	32	93
			134	00	14	43
			116	00	38	34

			115	00	21	66
			106	00	13	80
			102	00	23	10
			18	00	43	03
			17	00	31	55
			16	00	28	46
			10	00	21	00
2	KILAKARAI	RAGUNATHAPURAM	292	00	04	56
			293	00	20	80
			294	00	43	75

[F. No. Expl-11032(11)/91/2022-EXPL-I-PNG(E- 45243)]

R. K. KUREEL, Director